रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
[भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)]
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1972/चैत्र 5, 1894
No. 91] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1972/CHAITRA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
Legislative Department

ORDER

New Delhi, the 25th March 1972

G.S.R. 210(E).—Whereas by section 79 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government is empowered, by Order, to make adaptations and modifications of any law in relation to the Union territory of Mizoram, as may be necessary or expedient for the purpose of facilitating the application of such law in relation to that Union territory;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said section 79, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

THE NORTH-EASTERN AREAS (REORGANISATION) (MIZORAM) ADAPTATION OF LAWS ORDER, 1972.

1. (1) This Order may be called the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Mizoram) Adaptation of Laws Order, 1972.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. (1) In this Order, "appointed day" means the 21st day of January, 1972.

(2) The General Clauses Act, 1897, applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. As from the appointed day, the rules mentioned in the Schedule to this Order shall, until altered, repealed or amended by a competent authority, have effect subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule.

4. Whenever an expression mentioned in column 1 of the Table below occurs (otherwise than in a preamble) in any of the Rules mentioned in the Schedule to this Order, then, in the application of such Rules to the Union territory of Mizoram, or, as the case may be, to any part thereof, unless that expression is by this Order expressly directed to be otherwise adapted or modified, or unless the context otherwise requires, there shall be substituted therefor the expression set opposite to it in column 2 of the said Table, and there shall also be made in any sentence in which that expression occurs, such consequential amendments as the rules of grammar may require

TABLE

1	2
Governor of Assam Governor	Administrator

5. Where this Order requires that in any of the Rules mentioned in the Schedule to this Order certain words shall be substituted for certain other words, that substitution shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in such Rules.

THE SCHEDULE

Rules for the regulation of the procedure of Officers appointed to Administer Justice in the Lushai Hills, made on the 25th March, 1937, under section 6 of The Scheduled Districts Act, 1874 (14 of 1874).

Re-number rule 1 as rule 1A, and before the rule as so re-numbered, *insert*—

'1. In these rules, "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Mizoram, appointed by the President under article 239 of the Constitution.'.

Rule 9.—*For* "Assam High Court" wherever occurring, *substitute*—

"Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura)".

Rule 21.—For "specified in items 1 and 2 of Part I Assam, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950", *substitute*—

"specified in Part II—Mizoram, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951".

THE ASSAM AUTONOMOUS DISTRICTS (CONSTITUTION OF DISTRICT COUNCILS) RULES, 1951.

Rule 2.—(i) *Renumber* clause (1) as clause (1A), and before the clause as so renumbered, *insert*—

'(1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Mizoram appointed by the President under article 239 of the Constitution;';

(ii) for clause (12), *substitute*—'(12) "Gazette" means the Mizoram Gazette;';

(iii) *omit* clause (13);

(iv) *for* clause (19), *substitute*—

'(19) "Scheduled tribe or tribes" means the tribe or tribes specified in Part II—Mizoram, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951;';

(v) *for* clause (21), *substitute*—

'(21) "Secretary, Tribal Areas" means the Chief Secretary to the Government of the Union territory of Mizoram or any other officer whom the Administrator may nominate in this behalf;';

Rule 17.—In sub-rule (1), *for* "Government of any State", wherever occurring, *substitute*—

"Government of a State or Union territory".

Rule 40.—In sub sub-rule (2),—

(i) in clause (i), *for*—

"any Governor (as distinct from the Government of which he is the head)",

substitute—

"any Governor of a State or Administrator of a Union territory (as distinct from the Government of the State or the Government of the Union territory or the Union territory Administration, as the case may be)";

(ii) in clause (iii), *for* "the Union or any State Legislature" *substitute*—

"the Parliament or the Legislature of a State or Union territory".

Rule 55.—*For* "State Government", *substitute* "Government of the Union territory of Mizoram".

Rule 108.—*Omit* rule 108.

Rule 128.—In the proviso to sub-rule (1), *omit*—

"specified in item 1 of Part I—Assam, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950".

Rules 166, 169 *and* 180.—*For* "Secretary to the Government of Assam, Tribal Areas Department", wherever occurring, *substitute*—

"Secretary, Tribal Areas".

THE LUSHAI HILLS AUTONOMOUS DISTRICT (ADMINISTRATION OF JUSTICE) RULES, 1953.

Rule 2.—(i) Re-letter clause (a) as clause (aa), and before the clause as so re-lettered, *insert*—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Mizoram appointed by the President under article 239 of the Constitution,';

(ii) *for* clause (d), *substitute*—

'(d) "Gazette" means the Mizoram Gazette;';

(iii) *omit* clause (f);

(iv) *for* clause (g), *substitute*—

'(g) "High Court" means the Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura);';

(v) *for* clause (h), *substitute*—

'(h) "Scheduled tribe or tribes" means the tribe or tribes specified in Part II—Mizoram, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951;'.

THE PAWI LAKHER AUTONOMOUS REGION (ADMINISTRATION OF JUSTICE) RULES, 1954.

Rule 2.—(i) *Re-letter* clause (a) as clause (aa), and before the clause as so re-lettered, *insert*—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Mizoram appointed by the President under article 239 of the Constitution,';

(ii) *for* clause (e), *substitute*—

'(e) "Gazette" means the Mizoram Gazette;';

(iii) *omit* clause (f);

(iv) *for* clause (g), *substitute*—

'(g) "High Court" means the Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura);';

(v) *for* clause (k), *substitute*—

'(k) "Scheduled tribe or tribes" means the tribe or tribes specified in Part II—Mizoram, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951;'.

THE PAWI—LAKHER AUTONOMOUS REGION (CONSTITUTION AND CONDUCT OF BUSINESS OF THE REGIONAL COUNCIL) RULES, 1963.

Rule 2.—(i) *Re-number* clause (1) as clause (1A), and before the clause as so re-numbered, *insert*—

'(1A) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Mizoram appointed by the President under article 239 of the Constitution;';

(ii) *for* clause (11), *substitute*—

'(11) "Gazette" means the Mizoram Gazette;';

(iii) *omit* clause (12).

(iv) *for* clause (13), *substitute*—

'(13) "Scheduled tribe or tribes" means the tribe or tribes specified in Part II—Mizoram, of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951;'.

Rule 36.—In clause (i) of sub-rule (2), *for* "any Governor (as distinct from the Government of which he is the head)', *substitute*—

"any Governor of a State or Administrator of a Union territory (as distinct from the Government of the State or the Government of the Union territory or the Union territory Administration, as the case may be)'

Rule 110.—*For* the proviso to sub-rule (1), *substitute*—

"Provided that a person not belonging to a Scheduled tribe shall not be entitled to so vote unless he is permanently resident within the territorial limits of the said autonomous region."

[No. F. 19(2)/72-LI.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

सा०का०नि० 210(अ)—यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 79 द्वारा, केन्द्रीय सरकार को, मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में किसी विधि के अनुकूलीकरण और उपांतरण करने के लिए, आदेश द्वारा, सशक्त किया जाता है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी विधि के लागू होने हेतु सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

अतः, अब, उक्त धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (मिजोराम) विधि–अनुकूलीकरण आदेश, 1972

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (मिजोराम) विधि–अनुकूलीकरण आदेश, 1972 होगा ।

(2) यह 1972 के जनवरी के 21वें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. (1) इस आदेश में, "नियत दिन" से 1972 के जनवरी का 21वां दिन अभिप्रेत है ।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, जैसे कि वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है, वैसे ही इस आदेश के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. नियत दिन से ही, इस आदेश की अनुसूची में वर्णित नियम, जब तक, वे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न किये गये हों, अनुसूची द्वारा निर्दिष्ट अनुकूलीकरणों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे ।

4. जब कभी नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित कोई पद (उद्देशिका से अन्यथा) इस आदेश की अनुसूची में वर्णित नियमों में से किसी में आता हो, तब, यथास्थिति, मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र, या, उसके किसी भाग को ऐसे नियमों के लागू होने में, जब तक इस आदेश द्वारा वह पद अन्यथा अनुकूलित किये जाने या उपांतरित किये जाने के लिए निर्दिष्ट न हो, या जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक उसके लिए उक्त सारणी के स्तंभ 2 में उसके सामने उपवर्णित पद प्रतिस्थापित किया जायेगा और जिसमें वह पद आता हो, ऐसे किसी वाक्य में ऐसे पारिणामिक संशोधन भी किये जायेंगे, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों ।

सारणी

1	2
असम का राज्यपाल राज्यपाल	प्रशासक

5. जहां इस आदेश से अपेक्षित है कि इस आदेश की अनुसूची में वर्णित नियमों में से किसी में कतिपय शब्द, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जायेंगे, वहां वह प्रतिस्थापन, उसके सिवाय जहां वह अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं भी इन नियमों में निर्दिष्ट शब्द आते हों, किया जायेगा ।

अनुसूची

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 6 के अधीन 25 मार्च, 1937 को बनाये गये लुशाई पहाड़ियों में न्याय-प्रशासन के लिए नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम ।

नियम 1, नियम 1क के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और इस प्रकार पुनः संख्यांकित नियम के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

"1. इन नियमों में, "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।"

नियम 9—"असम उच्च न्यायालय", जहां कहीं भी वह आता हो, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"गौहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय)" ।

नियम 21—"संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग I—असम की मद 1 और 2 में विनिर्दिष्ट", के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग II—मिजोराम में विनिर्दिष्ट"।

असम स्वशासी जिला (जिला परिषदों का गठन) नियम, 1951

नियम 2—(i) खण्ड (1) को खण्ड (1क) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड के पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

"(i) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है; " ;

(ii) खण्ड (12) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(12) "राजपत्र" से मिजोराम का राजपत्र अभिप्रेत है;";

(iii) खण्ड (13) का लोप करें;

(v) खण्ड (19) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(19) "अनुसूचित जनजाति या जनजातियों" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग II—मिजोराम में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियां अभिप्रेत है;" ;

(v) खण्ड (21) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(21) "सचिव, जनजाति क्षेत्र" से मिजोराम संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का मुख्य सचिव या कोई अन्य अधिकारी, जिसे प्रशासक इस निमित्त नामनिर्देशित करें, अभिप्रेत है;';

नियम 17—उपनियम (1) में "किसी राज्य की सरकार", जहां कहीं भी वह आता है, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार"।

नियम 40—उपनियम (2) में,—

(i) खण्ड (i) में,—

"कोई राज्यपाल उस सरकार से यथा सुभिन्न जिसका वह मुख्य है)" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"राज्य का कोई राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक (यथास्थिति राज्य की सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से यथा सुभिन्न)";

(ii) खण्ड (iii) में, "संघ या कोई राज्य विधान मंडल" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"संसद् या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का विधान मण्डल"।

नियम 55—"राज्य सरकार", के स्थान पर, "मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र की सरकार" प्रतिस्थापित करें।

नियम 108—नियम 108 का लोप करें।

नियम 128—उप-नियम (1) के परन्तुक में, "संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग I—असम की मद 1 में विनिर्दिष्ट" का लोप करें।

नियम 166, 169 और 180—"सचिव, असम सरकार, जनजाति क्षेत्र विभाग", जहां कहीं भी वह आता हो, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"सचिव, जनजाति क्षेत्र"।

लुशाई पहाड़ियां स्वशासी जिला (न्याय-प्रशासन) नियम, 1953.

नियम 2—(i) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनराक्षरित करें और इस प्रकार पुनराक्षरित खण्ड के पहले, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

'(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;';

(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(घ) "राजपत्र" से मिजोराम का राजपत्र अभिप्रेत है;';

(iii) खण्ड (च) का लोप करें;

(iv) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(छ) "उच्च न्यायालय" से गौहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) अभिप्रेत है;';

() खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(ज) "अनुसूचित जनजाति या जनजातियों" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग II—मिजोराम में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियां अभिप्रेत हैं;'।

पवी लाखेर स्वशासी प्रदेश (न्याय-प्रशासन) नियम, 1954

नियम 2—(i) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनराक्षरित करें और इस प्रकार पुनराक्षरित खण्ड के पहले, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

'(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;';

(ii) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें —

'(ङ) "राजपत्र" से मिजोराम का राजपत्र अभिप्रेत है;';

(iii) खण्ड (च) का लोप करें;

(iv) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(छ) "उच्च न्यायालय" से गौहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) अभिप्रेत है;';

(v) खण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें--

'(ट) "अनुसूचित जनजाति या जनजातियों" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग II--मिजोराम में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियां अभिप्रेत है;" ।

पवी लाडेर स्वशासी प्रदेश, (प्रादेशिक परिषद् का गठन और कारबार का संचालन) नियम, 1963

नियम 2--(i) खण्ड (1) को खण्ड (1क) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड के पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें--

'(1क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;";

(ii) खण्ड (11) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें--

'(11) "राजपत्र" से मिजोराम का राजपत्र अभिप्रेत है;';

(iii) खण्ड (12) का लोप करें ।

(iv) खण्ड (13) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें--

"(13) "अनुसूचित जनजाति या जनजातियों" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग II मिजोराम में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियां अभिप्रेत है;" ।

नियम 36--उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, "कोई राज्यपाल (उस सरकार से यथा सुभिन्न जिसका वह मुख्य है)", के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें--

"राज्य का कोई राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक (यथास्थिति, राज्य की सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार से यथा सुभिन्न)" ।

नियम 110--उप-नियम (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें--

"परन्तु, ऐसा व्यक्ति, जो अनुसूचित जनजाति का नही है, इस प्रकार मत देने का तब तक हकदार नही होगा जब तक वह उक्त स्वशासी प्रदेश के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थायी रूप से निवास न करता हो ।"

[सं० फा० 19(2)/72-/व० 1]

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972